

प.एन.डा.पो.एस.एक्ट केस (ज)

जालोर (राज.)

15/6/2026 SPP/350/ उमेश कुमार अग्रवाल व सुरेश कुमार
कृष्ण/ वकील उमेश कुमार उग्र

उमेश कुमार की हाली माफिकी
द्वारा फेरा हुनी जाये कछिपता स्वीकार की गयी
12/11 हराम के ध्यान लिये गये अग्रह सं. 13 H/w
14 व 15 B/w 2000/- से नलक हो कर उग्रपट नल
स्वादि सं. 142 न रागेट 1420/- न मिल उग्रपट रूप
से करानी जाये। कसमें न मिल की दस्तावे 570/2026
स्वादि 1420 के समु उपस्थित आवे। पत्रावली साइड उग्र
दिनांक 13/7/2026 को फेरा हो

मेशन्स ग्यावाधीश
जालोर (राज.)